BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

राज्यसभा (Rajya sabha or Council of States)

राज्यसभा की संरचना एवं निर्वाचन

राज्यसभा, संसद का द्वितीय सदन अथवा उच्च सदन है जो हमारे देश में संघात्मक शासन का प्रतीक है। राज्यसभा केन्द्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान के अनुसार (अनुच्छेद 80) राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है परन्तु वर्त्तमान में इसकी संख्या 245 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1)(ख) के अनुसार राज्यसभा के लिए अधिकतम 238 सदस्य राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश से होंगे तथा शेष 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा। अर्थात् 12 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों यथा– कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता आदि के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान एवं उल्लेखनीय योगदान के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मानोनीत किया जाता है।

राज्यसभा एक स्थायी सदन है इसलिए इसे लोकसभा की भॉति भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्वति तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्वति के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा के सीटों का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभाएँ नहीं होती है वहॉ पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचक मण्डल गठित किए जाते हैं। वर्ष 2003 में संसद द्वारा राज्यसभा की रचना में किए गये परिवर्तन के आधार पर राज्यसभा का सदस्य होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है (अर्थात् जहॉ से राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता हो, वहॉ का निवासी होना आवश्यक नहीं है) तथा

चुनाव में गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है। वस्तुतः विश्व के सभी देशों में द्वितीय सदन को स्थायी सदन बनाया गया है ताकि लोकतंत्र देश में सदैव जीवित रह सके।

राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता एवं कार्यवधि – राज्यसभा के सदस्यों के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है :–

1. भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
2. उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष हो अर्थात् 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
3. किसी लाभ के पद पर न हो, विकृत मस्तिष्क का न हो।
4. संसद द्वारा निहित की गई अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो।

राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षो का होता है परन्तु प्रत्येक दो वर्षो के बाद 1/3 (एक–तिहाई) सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं तथा नवीन 1/3 (एक–तिहाई) सदस्य पद ग्रहण करते हैं।

राज्यसभा के पदाधिकारी

भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा सदस्य अपने में से किसी एक को उपसभापति निर्वाचित करती है। राज्यसभा का उपसभापति जब सभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वेतन भुगतान भारत की संचित निधि में से किया जाता है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के सदस्यों में से ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो, उस पद के कर्त्तव्यों का पालन करता है। राज्यसभा के लिए कोरम, सदस्यों की संख्या का 1/10 है।

राज्यसभा के कार्य और शक्तियॉ

1. **विधायी अथवा व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियॉ** – कानूनी रूप से राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार प्राप्त है। वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। कोई भी विधेयक एक सदन से

स्वीकृत होने के उपरान्त दूसरे सदन में विचारणार्थ भेजा जाता है। दोनों सदनों से विधेयक की स्वीकृति होने के उपरान्त उसे अन्तिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर बहुमत के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। यदि विधेयक एक सदन से पारित हो जाने के बाद 6 महीने के अन्दर दूसरे सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। सामान्य विधेयक के मामले में दोनों सदन समान स्तर पर हैं लेकिन वास्तविक में राज्यसभा की स्थिति दो बातों पर कमजोर है : **प्रथम,** संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति द्वारा यह कार्य मन्त्रिपरिषद् के परामर्श पर किया जाता है। मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण मन्त्रिपरिषद् का ध्यान लोकसभा के प्रति अधिक होगा। यदि कोई विधेयक राज्यसभा से स्वीकृत हो, लेकिन लोकसभा से अस्वीकृत हो गया हो, तो सम्भावना इस बात की है कि इस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जायेगा और विधेयक अपने आप समाप्त हो जायेगा। **द्वितीय,** संयुक्त बैठक में निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से दोगुने से भी अधिक है, इस कारण निर्णय लोकसभा के पक्ष में जाने की सम्भावना अधिक होती है। राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करने में अधिक से अधिक 6 माह तक विलम्ब कर सकती है।

अभी तक केवल दो बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलायी गई है। प्रथम, 1961 में "दहेज निषेध विधेयक" (Dowry abolition Bill) तथा दूसरी, 1978 में "बैंकिग सेवा आयोग विधेयक" पर संयुक्त बैठक बुलायी गई थी। उक्त संयुक्त बैठक में दोनों विधेयकों को पारित कर दिया गया।

2. **<u>वित्तीय शक्तियॉ</u>** – वित्तीय मामलों में राज्यसभा की स्थिति कमजोर होती है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जायेगा। लोकसभा से प्रस्तावित वित्त विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जायेगा।

राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों के अन्दर अपने सुझावों के साथ लोकसभा को भेज दिया जायेगा। उनके सुझावों को मानना व न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के अन्दर कुछ सुझावों के साथ लौटाती है लेकिन उनके सुझावों को लोकसभा स्वीकृत नहीं करती है तो वह विधेयक उसी रूप में स्वीकृत समझा जायेगा, जिस रूप में लोकसभा द्वारा पारित किया गया हो। वित्तीय मामलों में मत देने का एक मात्र अधिकार लोकसभा को है।

3. **प्रशासनिक शक्तियॉ** – संविधान के अनुसार मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यसभा का मन्त्रिपरिषद् पर कोई नियंत्रण नहीं है किन्तु वह उसे प्रभावित अवश्य करती है। राज्यसभा के सदस्य सरकार की आलोचना कर सरकार को सजग करते हैं। अनिवार्य प्रशासनिक विषयों पर वाद–विवाद करने के लिए "काम रोको प्रस्ताव" लाया जा सकता है। मंत्री राज्यसभा के सदस्य न रहते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
4. **संविधान संशोधन की शक्तियॉ** – संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन का विधेयक किसी एक सदन द्वारा सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। संशोधन विधेयक तभी स्वीकृत समझा जायेगा जब दोनों सदनों द्वारा अलग–अलग दो–तिहाई बहुमत से उसे पारित कर दिया गया हो। बहुमत पारित नहीं होने पर संशोधन प्रस्ताव गिर जायेगा।
5. **विविध शक्तियॉ** – उपर्युक्त शक्तियों के अलावा राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियॉ भी प्राप्त है, जिसका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर कर सकती है।

(i) राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।

(ii) राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।

(iii) राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने पर ही महाभियोग प्रस्ताव पारित समझा जायेगा।

(iv) राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा से पारित होकर ही लोकसभा में जाता है।

(v) एक माह से अधिक अवधि का आपातकाल लागू रखने के लिए दोनों सदनों का प्रस्ताव पर अनुमोदन आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में केवल राज्यसभा से अनुमोदन आवश्यक है।